–: राजस्थान सरकारः–

# न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0–59/2024 (जीसीएमएस नं0 2024/99)

उनवान –सरकार बनाम सियाराम पुत्र श्री घूरेलाल,उम्र 30 वर्ष जाति लोधा मालिक मैसर्सः स्टेशन रोड, धौलपुर, निवासी तगावली, धौलपुर जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

**निर्णय** दिनांक –28.06.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री राजेन्द्रसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त सियाराम पुत्र श्री घूरेलाल,उम्र 30 वर्ष जाति लोधा मालिक मैसर्सः स्टेशन रोड, धौलपुर, निवासी तगावली, धौलपुर जिला धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/51 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.11.2023 को अभियुक्त/अप्रार्थी के दुकान मैसर्सः– स्टेशन रोड, धौलपुर, निवासी तगावली, धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में लगभग 10 किलोग्राम पनीर को आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त में मिलावट का शक होने पर उक्त पनीर को 1 किलोग्राम वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त पनीर नमूना डी–3012 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस/1480/एक्ट/2023/1525 दिनांक 22.11.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया पनीर सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया । जबाब पेश करने से मना किया। सीधे ही बहस की गई । अप्रार्थी ने बहस के दौरान अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त पनीर सबस्टेण्डर्ड (Substandard) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी पनीर सबस्टेण्डर्ड (Substandard) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः श्री सियाराम पुत्र श्री घूरेलाल,उम्र 30 वर्ष जाति लोधा मालिक मैसर्सः स्टेशन रोड, धौलपुर, निवासी तगावली, धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 25,000/–रुपये ( पच्चीस हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवंअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

( ब्रह्मलाल जाट )
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर(राज0)

Scanned with OKEN Scanner